अनुदान संख्या 75– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 75 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	15866,78,00		16216,80,00	5406,33,26	-10810,46,74
पूरक	Supplementary	350,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10110,91,44
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			427,00,00	347,30,66	-79,69,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					79,69,34

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1081046.74 लाख) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹35002.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1081046.74 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹35002.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and constituted 67 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4541.00	3687.18	3687.29	+0.11
पु.	R.	-853.82			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2802'' पेट्रोलियम	Major Head "2802" Petroleum				
मू.	O.	1579737.00			
पू.	S.	35002.00	606813.58	536858.17	-69955.41
पु.	R.	-1007925.42			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2400.00			
			87.80	87.80	..
पु.	R.	-2312.20			

(I) ₹2453.50 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से अकेले ₹2353.00 लाख मुख्य शीर्ष "2802" – "सामान्य – स्वायत्त निकायों को सहायता – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" के अंतर्गत इलेक्ट्रोमेगनेटिक संगतता सिफारिश के अनुसार बोर्ड द्वारा आंतरिक उपार्जन/संसाधनों के प्रयोग के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2802" – "तेल और गैस का शोधन तथा विपणन – प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की स्थापना – इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) – पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाईन ग्रिड के अंतर्गत" – ₹85000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹35000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹120000.00 लाख किया गया। तथापि, ₹35000.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सीआरआईएफ की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से दी जाने वाली निधियों का प्रयोग न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹2453.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilized under four heads; of these, ₹2353.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2802" – "General - Assistance to Autonomous Bodies - Petroleum and Natural Gas Regulatory Board" – due to use of internal accruals/resources by the Board as per Electromagnetic Compatibility recommendation.

(II) Under Major Head "2802" – "Refining and Marketing of Oil and Gas – Setting up of Natural Gas Pipe Line - Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) - Part of the North East Natural Gas Pipeline Grid" – the original provision of ₹85000.00 lakhs was augmented to ₹120000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹35000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹35000.00 lakhs (including supplementary grant) – due to non-utilization of funds to be provided from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) owing to non-finalization of accounting procedure of CRIF.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹853.71 लाख की बचत (₹4541.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने और कम स्थापना संबंधित दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2802" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "तेल और गैस का शोधन तथा विपणन – तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जी–वन योजना" – ₹8181.00 लाख की बचत (₹23331.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के तौर तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और स्कीम अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध कराई गई निष्पादन सूची की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" –

(क) "विपणन कंपनियों को सहायिकी" –

(i) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹1075277.33 लाख की बचत (₹1090752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामाजिक–आर्थिक कारकों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य, देश में वृहत आर्थिक स्थितियों और उपभोक्ता की भुगतान करने की क्षमता शामिल है, की वजह से सब्सिडी दरों में परिवर्तन और कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (घरेलू प्राकृतिक गैस) सहित अन्य क्षेत्र सहायिकी" – ₹5130.00 लाख की बचत (₹39330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्चे तेल की कीमतों में प्रतिगामी विश्लेषण पर आधारित सब्सिडी परिकलन में परिवर्तन के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Petroleum and Natural Gas" - saving of ₹853.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4541.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and receipt of less establishment related claims.

(IV) Under Major Head "2802" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Refining and Marketing of Oil and Gas - Marketing of Oil - Pradhan Mantri JI-VAN Yojana" - saving of ₹8181.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23331.00 lakhs) was due to non-finalisation of scheme modalities and receipt of less proposals from implementing agencies owing to execution schedule provided as per scheme notification.

(B) "General" -

(a) "Subsidy to Oil Marketing Companies"-

(i) "DBT for LPG" - saving of ₹1075277.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090752.00 lakhs) was due to variation in subsidy rates owing to socio-economic factors which includes international product prices, macro economic conditions in the country and consumer's ability to pay and receipt of less bills.

(ii) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)"- saving of ₹5130.00 lakhs (againstst the sanctioned provision of ₹39330.00 lakhs) was due to variation in subsidy calculation based on regression analysis at crude oil price.

(iii) "बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर्स परिसर को – फीडस्टॉक सहायिकी" – ₹3543.00 लाख की बचत (₹107835.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Crackers Complex" - saving of ₹3543.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107835.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the beneficiaries.

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता" –

(b) "Assistance to Autonomous Bodies" -

(i) "इंडियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व लिमिटेड (ओएंडएम) को भुगतान" – ₹5685.00 लाख की बचत (₹18634.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पडुर कार्यस्थल पर छह माह के लिए आईटीबीपी कार्मिकों की तैनाती न किए जाने की वजह से लागत में अधोमुखी संशोधन, कोविड–19 महामारी की वजह से कम विदेशी दौरों और दो मामलों में पंचाट अवार्ड जमा करने के लिए माननीय उच्च न्यायलय द्वारा सुनवाई की तारीख को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(i) "Payments to Indian Strategic Reserves Limited (O&M)" - saving of ₹5685.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18634.00 lakhs) was due to downward revision of cost owing to non-deployment of ITBP personnel for six months at Padur site, less foreign tours owing to COVID-19 pandemic and non-finalisation of hearing date by Hon'ble High Court for depositing of arbitrary awards in two cases.

(ii) "भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान, विशाखापट्नम की स्थापना" – ₹7125.00 लाख की बचत (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान द्वारा भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Setting up of Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE), Visakhapatnam" - saving of ₹7125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to non-acquisition of land for the institute.

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य सहायिकी (घरेलू प्राकृतिक गैस)" – ₹535.00 लाख की बचत (₹3735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्चे तेल की कीमत में प्रतिगामी विश्लेषण पर आधारित सब्सिडी परिकलन में परिवर्तन के कारण हुई।

(i) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)"- saving of ₹535.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3735.00 lakhs) was due to variation in subsidy calculation based on regression analysis at crude oil price.

(ii) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹102114.44 लाख की बचत (₹103584.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹52902.66 लाख की बचत (₹53664.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सामाजिक–आर्थिक कारकों जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य, देश के वृहत आर्थिक स्थितियां और उपभोक्ता की भुगतान करने की क्षमता शामिल है, की वजह से सब्सिडी दरों में परिवर्तन और कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – राज्य सरकारों को अंतर रॉयल्टी का भुगतान" – ₹2312.20 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अरुणाचल प्रदेश के प्री–नेल्प डिस्कवरी ब्लॉक से उत्पादन बंद हो जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹220218.58 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2802" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹35002.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "तेल और गैस का शोधन और विपणन – अन्य व्यय – भारतीय गैस प्राधिकरण – फूलपुर धर्मा हल्दिया पाइपलाईन परियोजना" – ₹33955.00 लाख।

(II) "सामान्य" –

(का) "तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी" –

(ii) "DBT for LPG" - saving of ₹102114.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103584.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - DBT for LPG" - saving of ₹52902.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53664.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to variation in subsidy rates owing to socio-economic factors which includes international product prices, macro economic conditions in the country and consumer's ability to pay and receipt of less bills.

(V) Under Major Head "3601" – "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Payment of Differential Royalty to State Governments" - saving of ₹2312.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to discontinuation of production from Pre-NELP discovery block of Arunachal Pradesh.

2. The above savings were partly (₹220218.58 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹35002.00 lakhs under Major Head "2802" – under the following heads:-

(I) "Refining and Marketing of Oil and Gas - Other Expenditure - Gas Authority of India-Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project" - ₹33955.00 lakhs.

(II) "General" -

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" –

(क) "परियोजना प्रबंधन व्यय" – ₹17664.58 लाख।

(a) "Project Management Expenditure" - ₹17664.58 lakhs.

(ख) "गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की योजना (पीएमयूवाई)" – ₹137003.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹137047.87 लाख हुआ।

(b) "Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹137003.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹137047.87 lakhs.

(खा) "स्वायत्त निकायों को सहायता" –

(B) "Assistance to Autonomous Bodies" -

(क) "राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) असम" – ₹6800.00 लाख।

(a) "Establishment of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum and Technology (RGIPT), Assam" - ₹6800.00 lakhs.

(ख) "ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र, बंगलौर की स्थापना" – ₹5000.00 लाख।

(b) "Establishment of Centre of Excellence for Energy, Bangalore" - ₹5000.00 lakhs.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की स्कीम"– ₹13034.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13033.75 लाख हुआ।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for LPG connection to Poor Household (PMUY)" - ₹13034.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13033.75 lakhs.

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की स्कीम" – ₹6762.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6761.75 लाख हुआ।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹6762.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6761.75 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4802" पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4802" Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	42700.00	34730.66	34730.66	..
पु.	R.	-7969.34			

(I) ''कच्चे तेल और गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन – अन्य व्यय – राष्ट्रीय भूकंप–संबंधी कार्यक्रम'' के अंतर्गत ₹7969.34 लाख की बचत (₹21700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप संबंधी कार्य के लिए नियुक्त एजेंसी के दावे पर लगाई गई कटौती/प्रतिबंध और सेवाओं के किराए पर लेने के पुनर्निविदाकरण को अंतिम रूप न दिए जाने और सस्ती पद्धति होने के कारण वायुवाहित भूगर्भीय सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े अर्जित करने की पद्धति में बदलाव के कारण हुई।

(I) Under "Exploration and Production of Crude Oil and Gas – Other Expenditure – National Seismic Programme" - saving of ₹7969.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21700.00 lakhs) was due to cut/restriction imposed on the claim of agency engaged for seismic work and non-finalisation of re-tendering of hiring of services and change of method of acquiring data through Airborne Geological Survey being the cheapest method.